04-09-2019

काजू से दूर होगी एथेनॉल की कमी

EXCLUSIVE

एनएसआई ने कागू फ़ूट से एथेनॉल बनाने की टेक्निक डेक्लप की, तीन महीने तक चला ट्रायल रहा सफल

देश में होने वाले काजू प्रोडक्शन से ५ करोड़ लीटर एथेनॉल बनेगा, काजू अलग करने के बाद बचे फल का होता है यूज

kanpur@inext.co.in KANPUR (4 Sept): देश में एथेनॉल की कमी को पूरा करने के लिए एनएसआई(नेशनल सुगर इंस्टीट्यूट) नई टेक्निक डेवलप की है. जिसमें काजू(ड्राई फ्रूट) से एथेनॉल बनाया जाएगा. इसकी क्वॉलिटी शीरे से बनने वाले एल्कोहल से बहुत अच्छी होगी. तीन महीने से एनएसआई में काजू फ्रूट्स से एथेनॉल डेवलप किया जा रहा था. देश में काजू का जितना प्रोडक्शन उत्पादन होता है उससे करीब 5 करोड़ लीटर एथेनॉल या एल्कोहल बनाया जा सकता है

समी संभावनाओं पर काम

एनएसआई के डायरेक्टर प्रो. नरेन्द्र मोहन अग्रवाल ने बताया कि मक्का, बाजरा व चावल से भी एथेनॉल बनाने की संभावना पर काम जारी



नई टेक्निक पर बात करते एनएसआई के डायरेक्टर व फैकल्टी.

फेक्ट

DISC

330

करोड लीटर

एथेनॉल की

जरूरत है देश को

200

करोड लीटर का ही

प्रोडक्शन हो रहा

आभी

05

करोड लीटर

एथेनॉल बन सकता

है इतने काज से

06

लाख टन काज का

उत्पादन होता है

देश में

वेस्ट अफ्रीका के साथ किया करार

वियतनाम व नाइजीरिया के बाद इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा काजू उत्पादन करने वाला देश है. मंगलुरू की कंपनी काजू की प्रोसेसिंग करती है. कंपनी के साथ मिलकर काजू फल से एथेनाल व एल्कोहल डेवलप करने को लेकर ट्रायल किया गया. तीन महीने से एनएसआई कैंपस में इसका ट्रायल चल रहा था. अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है. काजू प्रोसेसिंग करने वाली कंपनी मंगलुरू इंडिया वेस्ट अफ्रीका के आइबरी कोस्ट में प्लांट लगाएगी. जहां डेली करीब 15 हजार लीटर एथेनॉल व एल्कोहल बनाया जाएगा.

है. फिलहाल काजू फ्रूट्स से एथेनॉल बनाने में कामयाबी मिली है. अभी तक फल से काजू अलग करने के बाद बचे हिस्से का कोई खास यूज नहीं किया जा रहा था. सिर्फ गोवा में काजू फेनी वाइन इस फल से बनाई जा रही थी. देश में करीब 6 लाख 6 लाख 7 दन काजू फ्रूट्स का CHAPPY TEACHERS DA GURU HAR RAI AC Affiliated To C.I.S.C.E. New Del Near Rama Devi Bye Pass. Sar Kanpur-21 Ph. 95652222 www.guruharraiacademy.com. E-MAIL : gha.kar SOON WE ARE ALSO COMING UP W OF ART C.B.S.E. SCHOOL AT KOYL

बहुत अच्छी होगी क्वॉलिटी

काजू के फल से बनने वाले एल्कोहल का यूज विदेशी वाइन के बनाने में किया जा सकता है. इसकी क्वॉलिटी बहुत अच्छी होगी. इसके अलावा इसका प्रयोग परप्यूम के बनाने में किया जा सकता है. देश में एथेनॉल की जरूरत 330 करोड़ लीटर है जबकि प्रोडक्शन अभी सिर्फ 200 करोड़ लीटर का हो रहा है. एथेनॉल बनने से कुछ राहत मिलेगी.

HAPP) TEARH

NSI gears up to develop technique for producing ethanol from cashew apple

KANPUR: The National Sugar Institute, Kanpur has geared up to develop technique for producing ethanol from Cashew Apple to boost availability of ethanol for ethanol blending programme. The Director of the National Sugar Institute, Prof Narendra Mohan while addressing a top level meet at the NSI on Wednesday said the Institute was well to search for alternate feed stocks for producing ethanol as it was not possible to achieve the blending targets only with molasses based ethanol. He said the possibility of using surplus foodgrains for ethanol production was already being explored.

He said by utilising such non-conventional feed stocks, not only the availability of ethanol may increase but it will also give a thrust to rural area of that particular region. A team from Reliable Cashew Company Pvt. Ltd., Managlore, Karnataka which was the largest cashew processing company in the country reached the institute on Wednesday for techno-economic viability studies with the institute so as to take a lead in setting up an ethanol producing plant from cashew apple in India.

The cashew apple (or cashew fruit) was the fleshy part of the cashew fruit that was attached to the cashew nut and they extremely soft and easily bruised in shipment and thus for this reason cashew apple were converted into cashew juice and cashew juice concentrate. Cashew apple contained higher concentration of sugar content and the presence of sugar contents offered a wide potential for its conversion to ethanol.

Prof Mohan said the aim of the present study was to optimise the process variables for the fermentation of cashew apple using microorganisms. He said the influencing process parameters that effected the percentage conversion of ethanol were pH, temperature of fermentation, time and agitation speed. He said the experiments were conducted with pH ranging from of 4 to 8, temperature was varied in the range of 30-45°C and fermentation time was varied in the range of 24 to 36 hours. He said the experiment was carried at static and agitated conditions and the process of conversion of cashew apple into ethanol by fermentation was optimised.

It may be mentioned here that the cashew apple (or cashew fruit), was the fleshy part of the cashew fruit that was attached to the cashew nut. He said the cashew apple was a soft fruit, rich in nutrients and contained five times more vitamin C than an orange.

He said cashew apples had

a sweet but astringent taste and this astringency limited the direct consumption of fresh fruit. He added that the fruit, unlike the Cashew nut, was difficult to transport as they were extremely soft and easily bruised. He said for the reason, cashew apple were converted into cashew juice and cashew juice concentrate. He said alternatively it can be fermented into an alcohol.

यूनियन बैंक O Union Bank शाखाः कल्याणपुर, सी.एस.जे.एम. यूनिवर्सिटी कैम्पस, कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय : 117/H-1/240, पाण्डुनगर, कानपुर-208005 प्रधान कार्यालय : 239, विधान भवन मार्ग, नारीमन प्वाइंट, मुंबई-400021 कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु) [Rule-8(1)] जैसा कि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत यूनियन बैंक आफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी स्रोते हुये और उक्त अधिनियम की धारा-13 (12) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 को नियम-3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना अन्तर्गत धारा 13 (2) निम्न खाता धारकों आदि को जारी किया गया था, जिसमें नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के मांतर देय राजि के अदायगी की अपेक्षा की गयी थी। हणी उपरोक्तानुसार अदायगी में विफल रहे है फलस्वरूप ऋणी एवं सर्वसाधारण को एतद्दारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की उपधारा (4) धारा 13 सपठित नियम -8 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002, में प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित बंधक संपत्ति/सम्पत्तियो पर निम्नलिखित दिनांक को कब्जा ले लिया गया है। ऋणी एवं सर्वसाधारण को एतड्डारा सावधान किया जाता है कि, बंधक संपत्ति/सम्पत्तियों से किसी प्रकार का समव्यवहार न करें। कोई भी समव्यवहार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, के ऋण रुपये एवं उस पर अनुबंधित दर पर लागू व्याज आदि के भार के अधीन होगा। ऋणी का ध्यान बंधक संपत्ति/सम्पत्तियों को मुक्त कराने हेतु उपलब्ध मियाद के संदर्भ में अधिनियम की उपचारा (8) बारा-13 की ओर भी आकर्षित किया जाता है। बकायेदार/जमानतदार का नाम/पता व बंधक सम्पत्ति/सम्पत्ति मालिक एवं मांग सूचना तिथि/प्रलक्षित कब्जा तिथि/बकाया धनराशि सं बकायेदार का नाम : श्री शैलेन्द्र सिंह मादव एवं शिवेन्द्र सिंह मादव दोनों पुन्न श्री राम बाबू गदद (श्री बाबू सिंह गादव), दोनों बकायवार का नाम : आ शलन्द्र सिंह पादव पूर्व शिवन्द्र सिंह पावच दानी पुत्र आ राम बाबू यादव (आ बाबू सिंह यादव), दाना निवासी : फ्लैंट सं. 810, परिसर सं. 117/के/13, आनन्द टीवर, सर्वोंचय नगर, कानपुर (उ.प्र.)। अमानतवार : श्री राम बाबू यादव (श्री बाबू सिंह यादव) पुत्र श्री राजाराम यादव, निवासी : फ्लैंट सं. 810, परिसर सं. 117/के/13, आनन्द टीवर, सर्वोंचय नगर, कानपुर (उ.प्र.)। मांग सूचना तिथि में बकाया धनराशि : रू. 27,90,506.50 + ब्याज + अन्य खर्च बंधक सम्पति का विवरण : मकान सं. 117/ओ/173, गीता नगर, काकादेव, कानपुर (उ.प्र.)। सम्पतिि मालिक : श्री राम बाबू यादव (श्री बाबू सिंह यादव) पुत्र श्री राजाराम यादव, निवासी : फ्लैंट सं. 810, परिसर सं. 117/के/13, आनन्द टीवर, सर्वोंचय नगर, कानपुर (उ.प्र.)। संयक्ति मातिक : श्री राम बाबू यादव (श्री बाबू सिंह यादव) पुत्र श्री राजाराम यादव, निवासी : फ्लैंट सं. 810, परिसर सं. 117/के/13, आनन्द टीवर, सर्वोंवय नगर, कानपुर (उ.प्र.)। संत्रकल : 421.39 वर्गमीटर, बौहचुपी: उत्तर : प्लट सं. 374, दक्तिण : 40 फीट चौड़ी रोड, पुरब : 40 फीट चौड़ी रोड, पश्चिम : प्लाट सं. 356, मांग सूचना तिथि : 16.05.2019, प्रलंक्ति कच्या तैने की तिथि : 31.08.2019 कार पाल, पारंभ मा रपाद से, 550, तान पूर्वमा साथ मा 10.05.2013, पतासार कर्मा तम का लाव 31.08.019 बकायेदार का नाम : श्री भोला शंकर (भोला यावय) पुत्र स्व. रामबावू, निवासी : मकान सं. 203, ई.डब्लू.एस. दयानन्द विहार इन्दिरा नगर, कानपुर (3.9.)। जमानतवार : श्री विकास शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा, निवासी : मकान सं. 31, कल्वाणपुर खुर्द (चन्द्रावती स्कूल के पास), नई शिवलो रोड, कल्वाणपुर, कानपुर (3.9.)। मांग सूचना तिथि में बकाया पनराशि : रू. 11,13,119.80 + ब्याज + अन्य खर्चे बंधक सम्पत्ति का विवरण : मकान सं. 203, ई डब्लू.एस. दयानन्द विहार इन्दिरा नगर, कानपुर (3.9.)। सम्पत्ति मालिक : श्री मोला शंकर (मोला यादव) पुत्र स्व. रामबाबू, निवासी : मफान सं. 203, ई.डब्लू.एस. दयानन्द विहार इन्दिरा नगर, कानपुर (3.9.)। सेत्रफल : 25.20 वर्गमोटर, चौडद्दी: उलरा : त्यार सं. 335, दक्षिण : 9 मीटर रोड, पूरब : जाट सं. 202, परिवम : त्वार सं. 204, मांग सूचना तिथि : 01.06.2019, प्रलबित कम्पा लेने की तिथि : 04.09.2019 कत आधिकारी, यूनियन बेक आण ह